राजस्थान सरकार
संस्कृत शिक्षा राजस्थान जयपुर

क्रमांकः निसंशि / भर्ती अनुभाग / पं.23(3) / प्राध्यापक / 2021 /

जयपुर, दिनांकः

# आदेश

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा आयोजित प्राध्यापक (संस्कृत शिक्षा) प्रतियोगी परीक्षा 2022 में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को राजस्थान लोक सेवा आयोग के पत्र क्रमांक एफ.6 ए(02) परीक्षा 'क' / प्राध्यापक(संस्कृत शिक्षा) / हिन्दी / RPSC / 2022–23 / 937 दिनांक 20.10.2023 द्वारा प्राप्त अभिस्तावना के क्रम में राजस्थान संस्कृत शिक्षा राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (विद्यालय शाखा) नियम 2015 के **नियम 6** के अनुसार निम्नांकित अभ्यर्थियों को एतद् द्वारा राजस्थान संस्कृत शिक्षा राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (विद्यालय शाखा) नियम में परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी **(प्राध्यापक–हिन्दी)** के रूप में उपस्थिति देने की संगत तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिये राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश / परिपत्र तथा सेवा नियमों के अनुसार निम्नांकित शर्तो के अध्यधीन नियुक्त कर पदस्थापित किया जाता है–

1 उक्त परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी को वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ15(1) एफडी / रूल्स / 2017 दिनांक 30.10.2017 एवं दिनांक 09.12.2017 के अनुसार 31,100 / – (L-12) अथवा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर यथा संशोधित नियत पारिश्रमिक दिया जायेगा। यह पारिश्रमिक मान0 उच्चतम न्यायालय में लंबित एस0एल0पी0 25565 / 2015 राजस्थान राज्य बनाम गोपाल कुमावत के निर्णय के अध्यधीन होगा। पहले ही राज्य सरकार की नियमित सेवा में कार्यरत एवं चयनित अभ्यर्थियों का वेतन राजस्थान सेवा नियम 24 के उपबन्धों के अन्तर्गत अनुज्ञात किया जायेगा।

2 परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशनर ट्रेनी) की अवधि में नियत पारिश्रमिक के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के भत्ते यथा महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, महंगाई. वेतन (डीपी) विशेष वेतन, बोनस आदि देय नहीं होंगे।

3 यह नियुक्ति राजस्थान संस्कृत शिक्षा राज्य एवं अधिनस्थ सेवा (विद्यालय शाखा) नियम, 2015, राजस्थान सेवा नियम एवं सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों एवं शर्तों के अध्यधीन है।

4 परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशनर ट्रेनी) की अवधि में आरजीएचएस एवं सामान्य प्रावधायी निधि की कटौती होगी परन्तु राज्य बीमा की कटौती नहीं होगी।

5 परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशनर ट्रेनी) की अवधि को वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए गणना योग्य नहीं माना जाएगा।

6 परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशनर ट्रेनी) की अवधि में इन्हें कलैण्डर वर्ष में केवल 15 दिन का आकस्मिक अवकाश वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ.12(9) एफ.डी.(रूल्स) 2017 जयपुर दिनांक 30.10.2017 के अनुसार देय होगा।

7 दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने के उपरान्त इनका वेतन निर्धारण राजस्थान सेवा नियम 26 के अनुसार प्राध्यापक की पे–मेट्रिक्स लेवल–12 में किया जायेगा।

**प्राध्यापक–हिन्दी**

| S. No. | MERIT NO | PHOTO | NAME | Father's Name | G | DOB | Category | Sel. Categor | Spe. Cate. | STATUS | Home Dist. | Name of School | P.S. | Dist. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | | RAMGOPAL KUMHAR | RAMCHANDRA KUMHAR | M | 13-Jul-82 | BC, EX | OBCM | EX | | AJMER | रा.वरि.उपा.सं.वि., चिखली, | चिखली | डूंगरपुर |

**संबंधित संभागीय संस्कृत शिक्षा अधिकारी / संकुल प्रभारी आदेश अंकित अभ्यर्थियों को कार्यग्रहण करवाने से पूर्व निम्नांकित कार्यवाही आवश्यक रूप से सम्पादित करेंगे–**

1. आवेदन पत्र मे चस्पा फोटो को स्केन कर नियुक्ति / पदस्थापन आदेश में अंकित किया गया है अनावश्यक [illegible] रोकने के उद्देश्य से अंकित फोटो एवं हस्ताक्षर का कार्यग्रहण करने वाले अभ्यर्थी से मिलान कर लें और यह सुनिश्चित कर लें कि जिस अभ्यर्थी ने आयोग की परीक्षा दी है, वही अभ्यर्थी नियुक्ति पर कार्यग्रहण कर रहा है।
2. उपरोक्त अभ्यर्थियों की जन्मतिथि इनके द्वारा परीक्षा आवेदन पत्रों में अंकित एवं राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा / [illegible] सत्यापन के पश्चात स्वीकृत जन्मतिथि के अनुसार तथा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र के आधार पर अंकित की गई है।

RajKaj Ref
5495976

Signature valid
Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Designation : Commissioner
Date: 2024.02.02 17:22:23 IST
Reason: Approved



आयुक्त,संस्कृत शिक्षा

3. नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व नियमानुसार संबंधित अभ्यर्थी का संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदत्त चरित्र संबंधी सदाचरण रिपोर्ट एवं सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा, इनके अभाव में अभ्यर्थी को नियुक्ति पर कार्यग्रहण नहीं करवाया जावें। पूर्व से राजकीय सेवा में सेवारत (समान पद न हो) कार्मिक के विधिवत कार्यमुक्त होकर आने पर यह आवश्यक नहीं होगा।
4. कार्यग्रहण कराने से पूर्व आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों का मिलान मूल दस्तावेजों से कर सही पाये जाने पर ही कार्यग्रहण करावें। दस्तावेज मिलान में यदि कोई भिन्न स्थिति पाई जावे तो कार्यग्रहण नहीं कराया जावे तथा उसके संबंध में पूर्ण टिप्पणी सहित इस कार्यालय को तत्काल सूचना भिजवाई जावें।
5. अन्य पिछडा वर्ग में चयनित अभ्यर्थियों हेतु राज्य सरकार द्वारा अधिकृत सक्षम अधिकारी स्तर से जाति प्रमाण पत्र नियमानुसार एवं निर्धारित प्रपत्र में जारी किया होना चाहिये एवं नियमानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा यह प्रमाणित किया गया हो कि "अपवर्जन का नियम इन पर लागू नहीं होता है अर्थात अनुसूची में वर्णित व्यक्ति क्रीमिलेयर का नहीं है तथा उक्त तथ्य सक्षम अधिकारी द्वारा काटा हुआ नहीं होना चाहिए। अन्य पिछडा वर्ग में चयनित यदि कोई अभ्यर्थी क्रीमिलेयर की श्रेणी में आता हे तो अभ्यर्थी को कार्यग्रहण नहीं कराया जावें तथा उसके संबंध में पूर्ण टिप्पणी सहित इस कार्यालय को तत्काल सूचना भिजवाई जावें।
6. अन्य पिछडा वर्ग का प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा अधिकृत सक्षम अधिकारी द्वारा नियमानुसार एवं निर्धारित प्रपत्र में प्रदत्त नवीनतम मान्य प्रमाण पत्र पिता की आय के पर जारी किया हुआ होना चाहिए। अन्य पिछड़ा वर्ग में चयनित महिला आवेदकों में मामले में यदि पति के नाम एवं पति की आय के आधार पर जारी किया हुआ हो तो यह प्रमाण पत्र मान्य नहीं है, परन्तु महिला अभ्यर्थी अपने पिता की आय के आधार पर प्रमाण पत्र जो कि विवाह के पश्चात् का बना हुआ प्रस्तुत करें तो ही मान्य होगा। ऐसा नहीं होने पर अभ्यर्थी को कार्यग्रहण नहीं कराया जावें। उपरोक्तानुसार अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाण पत्र की सुनिश्चितता आप अपने स्तर पर करने के उपरान्त ही अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदक को कार्यग्रहण कराया जावें।
7. अन्य पिछड़ा वर्ग में चयनित अभ्यर्थी का आवेदन पत्र के साथ संलग्न अथवा पात्रता जांच के समय आयोग को प्रस्तुत अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र यदि 1 वर्ष से पुराना हो तो ऐसा अभ्यर्थी उक्तानुसार संलग्न/प्रस्तुत किये गये प्रमाण पत्र के पश्चात् से कार्यग्रहण करते समय तक क्रीमिलेयर की श्रेणी में नहीं रहा/आया हो इसकी पुष्टि हेतु नवीन प्रमाण पत्र अथवा इस बाबत् शपथ पत्र प्राप्त करने के पश्चात् ही कार्यग्रहण कराया जावें।
8. एम.बी.सी. में चयनित अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत ओबीसी प्रमाण पत्र में उनकी जाति (1–बंजारा, बालदिया, लबाना, 2–गाडिया लोहार व गाडोलिया, 3–गूजर, गुर्जर, 4– राईका, रेबारी (देबासी), 5– गडरिया (गाडरी), गायरी) अंकित होने पर मान्य होगा परन्तु वर्तमान में एम.बी.सी. का अभ्यर्थी होने एवं उक्त प्रमाण पत्र शीघ्र बनवाकर प्रस्तुत करने की वचनबद्धता अवश्य प्राप्त करें।
9. आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो (EWS) में आवेदित अभ्यर्थी के पास राजस्थान के मूल निवासी के साथ–साथ सामान्य श्रेणी (राजस्थान राज्य के मूल निवासी, जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गो, अतिपिछड़े वर्गो के लिए आरक्षण की विद्यमान स्कीम के अन्तर्गत नहीं आते है) का जाति प्रमाण–पत्र होना आवश्यक है। इस श्रेणी में आवेदित अभ्यर्थियों हेतु कार्मिक (क–ग्रुप–2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 19.02.2019 के प्रावधान लागू होंगे।
10. कार्यग्रहण कराने से पूर्व अभ्यर्थी की पात्रता, वर्ग, आयु एवं आरक्षण संबंधी समस्त दस्तावेजों की जांच आवश्यक रूप से कर लेवें।
11. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व अभ्यर्थी से 50/–रु0 के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर यह शपथ पत्र लेवें कि उसके द्वारा प्रस्तुत समस्त सूचनाएं एवं दस्तावेज सही हैं, इनके त्रुटिपूर्ण, जाली अथवा कूटरचित पाये जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी एवं उनके विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही करने हेतु विभाग स्वतंत्र होगा।
12. कार्यग्रहण कराने से पूर्व राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक 7(1)डीओपी/ए–II/95 दिनांक 08.04.2003 के अनुसार संबंधित अभ्यर्थी से दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात् उत्पन्न सन्तानों की संख्या दो से अधिक नहीं होने संबंधी आशय का शपथ पत्र 50/– रूपयें के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावें।
13. विवाहित अभ्यर्थियों के मामले में विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र अथवा यदि विवाह, विवाह पंजीयन अनिवार्य करने संबंधी प्रावधान लागू होने से पूर्व हुआ है तो तत्संबंधी आशय का 50/– रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र आवश्यक रूप से प्राप्त कर लिया जावें।
14. आवेदक द्वारा दहेज नहीं लिये जाने का स्व घोषणा पत्र प्राप्त किया जाए।
15. राज्य के बाहर की संस्थाओं से प्राप्त शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्याताओं की वैधता संबंधी जांच विभाग स्तर पर करवाई जानी शेष है, अतः जिन अभ्यर्थियों द्वारा राज्य से बाहर की संस्थाओं से शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता अर्जित की गई है, उन्हें यह नियुक्ति राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त की गई शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता वैध व मान्य पाए जाने के अध्यधीन प्रदान की जा रही है। अतः कार्यग्रहण कराने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थियों से 50/– रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर इस आशय का शपथ पत्र प्राप्त करेंगे कि यदि इनके द्वारा राज्य से बाहर अर्जित की गई शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता वैंध व मान्य नहीं पाई गई तो उन्हें प्रदत्त यह नियुक्ति निरस्त करने एवं उनके विरूद्ध कार्यवाही करने संबंधी अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा। शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यताएं वैध व मान्य नहीं पाये जाने की स्थिति में यह नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी तथा कानूनी कार्यवाही अमल मे लाई जायेगी।
16. अभ्यर्थी से प्रशैक्षिक योग्यता अर्जित करने वाले संस्थान की परीक्षा उत्तीर्ण सत्र की राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा जारी मा... संबंधी प्रमाण पत्र प्राप्त कर कार्यारम्भ करावें।
17. कार्यग्रहण कराने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी से कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.7(3) कार्मिक/क–2/06 पार्ट दिनांक ...4.10.2013 के अनुसार धूम्रपान/मद्यपान एवं गुटखा सेवन नहीं करने संबंधी वचनबद्धता (**Undertaking**) निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त की जावें।

Rajkaj Ref
5495976

Signature valid
Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Designation : Commissioner
Date: 2024.02.02 17:22:23 IST
Reason: Approved



आयुक्त,संस्कृत शिक्षा

**विशेष- विभाग द्वारा अभ्यर्थियों को आयोग के निर्देशानुसार दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित किया गया था। उक्त सभी अभ्यर्थियों द्वारा अनुपस्थित रह कर दस्तावेजों का सत्यापन नहीं कराया। अतः यें अभ्यर्थी कार्यारम्भ से पूर्व निदेशालय संस्कृत शिक्षा, जयपुर में उपस्थित होकर दस्तावेज सत्यापन कराने के पश्चात ही पदस्थापन स्थान पर कार्यारम्भ हेतु उपस्थित होवें। इन अभ्यर्थियों को कार्यारम्भ कराने से पूर्व इनके संबंध में निदेशालय संस्कृत शिक्षा द्वारा जारी दस्तावेज सत्यापन प्रमाण पत्र प्राप्त कर ही कार्यारम्भ करवायें।**

इन्हें उक्त नियुक्ति उपरांत पदस्थापित स्थान पर **दिनांक–** 13.02.2024 तक कार्यग्रहण करना अनिवार्य होगा, उक्त दिनांक तक कार्यग्रहण नहीं करने वाले अभ्यर्थी के संबंध में यह नियुक्ति/पदस्थापन आदेश स्वतः ही निरस्त माना जावेगा। संबंधित संस्थाप्रधान अभ्यर्थी के कार्यग्रहण की सूचना तत्काल अथवा कार्यग्रहण नहीं करने वाले अभ्यर्थी की सूचना निर्धारित अंतिम तिथि के पश्चात तत्काल कार्यालय की ई–मेल sans.lect.2022@gmail.com पर प्रेषित कर उसकी प्रति डाक द्वारा भिजवाने की व्यवस्था करें।

(सुरेश कुमार ओला)
आयुक्त
संस्कृत शिक्षा राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः निसंशि/भर्ती अनुभाग/पं.23(3)/प्राध्यापक/2021/

जयपुर, दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं–

1. श्रीमान् विशिष्ट सहायक, माननीय संस्कृत शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. श्रीमान् शासन सचिव, संस्कृत शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. श्रीमान् सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4. श्रीमान् शासन उप सचिव, संस्कृत शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. श्रीमान् मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, संबंधित जिला ..................।
6. संबंधित संभागीय संस्कृत शिक्षा अधिकारी जयपुर/जोधपुर/अजमेर/बीकानेर (चूरू)/कोटा/उदयपुर/भरतपुर।
7. संबंधित प्रधानाचार्य, रावरिउपासंवि को भेजकर लेख है कि अभ्यर्थी के कार्यारम्भ करते ही इसकी सूचना अविलम्ब संभाग एवं निदेशालय में भिजवायें।
8. संबंधित अभ्यर्थी।
9. संरक्षण पंजिका।

आयुक्त
संस्कृत शिक्षा राजस्थान, जयपुर

Signature valid

RajKaj Ref
5495976

Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Designation : Commissioner
Date: 2024.02.02 17:22:23 IST
Reason: Approved